न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–244 / 2022
GCMS NO:- 2022/481

दायर दिनांकः 31.10.2022
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हेमराज आ0 गोपाल जाति बैरवॉ नि0 बडीपडाप तहसील नैनवॉ वगैरह (कुल 18)।

– प्रार्थीगण

बनाम

आशा पुत्री गुलाब जाति बैरवॉ नि0 बडीपडाप तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 44)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूलाल नागर।
अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 26.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बडीपडाप तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 593 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा नम्बर 606 रकबा 0.0566 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1051 हैक्टयर स्थित है जिसमे आने जाने का एक मात्र रास्ता बडीपडाप से खेरूणा जाने वाले रास्ते से पूर्वी आरे फट कर माताजी के स्थान के पास से खसरा नम्बर 628, 627, 610, 608, 607, 604 एवं खसरा नम्बर 611, 612, 613, 626 के बीच की मेड पर होता हुआ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पहुंचता है। यह रास्ता अनाधिकाल से चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं उसके पूर्वज इसी रास्ते से होकर भूमि मे आवागमन कर रहे है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे पहुंचने के लिए नही रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित रास्ता मात्र 12 फीट का है जो सकडा पडता है इसको 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि जमा कराने के लिए तैयार हैं। यह कि प्रत्यार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखते है जिससे अवैध व अनाधिकृत रूप से रास्ता अवरूद्व करने पर आमादा है और जबरन माताजी के स्थान के पास डोल लगाकर सिवायचक भूमि पर कब्जा करना चाहते है व रास्ता अवरूद्व करने पर आमादा हो रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7 जिनमे से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम अप्रार्थी संख्या 9 व 10 पर भी रिपीटेड है, की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

आज दिनांक 26.06.2026 को हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 593 व 606 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ